राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

<u>निर्वाचन आवश्यक / फैक्स</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में राज्य के 12 जनपदों में माह सितम्बर, 2008 व अक्टूबर, 2008 में निर्वाचन करवाये गये थे। उक्त निर्वाचनों के पश्चात भी विभिन्न जनपदों के प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के कतिपय पद/स्थान रिक्त रह जाने के कारण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 4321/रा0नि0आ0-2/780/2007 दिनांक 13-02-2009 निर्गत की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना के जारी होने के साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी की जाती है।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्या 4322(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/780/2007 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4- मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।

5- उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

6- सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।